5.

शोध सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय पंचम

शोध सारांश,निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 प्रस्तावना

वर्तमान अध्याय में विश्लेषण और व्याख्या अध्ययन के उद्देश्यों के संदर्भ में आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसका मूल उद्देश्य विश्लेषण आंकड़ों को सार्थक रूप में व्यवस्थित करना है ताकि वैध निष्कर्ष निकाला जा सके।

किसी भी शोध का मुख्य उद्देश्य संबंधित उद्देश्यों के आधार पर शोध का निष्कर्ष प्राप्त करना ही है। यह अध्याय वास्तव में संपूर्ण शोध का एक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें शोध का परिणाम निहित होता है। निष्कर्ष वास्तव में शोध के परिणाम है जिन्हें प्रश्नों के विश्लेषण व व्याख्या से प्राप्त किया जाता है।

प्रस्तुत शोध का परिणाम शोधकर्ता द्वारा परिभाषित किए गए विशिष्ट जनसंख्या तक ही सीमित है क्योंकि शोधकर्ताओं ने अपने शोध की जनसंख्या शासकीय विद्यालय में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों तथा शिक्षकों तक ही सीमित रखी है, अतः यह शोध शासकीय विद्यालयों तक ही सीमित है।

5.2 समस्या कथन

"विद्यालयों में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की समावेशन की स्थिति का अध्ययन।"

5.3 अध्ययन के शोध प्रश्न-

1) क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थी तथा विद्यार्थियों के शिक्षक समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूक हैं।

2) क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों तथा शिक्षको को प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी है।

3) शिक्षकों को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

5.4 अध्ययन के उद्देश्य -

1) दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन का अध्ययन

2) दृष्टिबाधित विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों के शिक्षकों की समावेशित शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन

3) विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी है।

4) विद्यार्थियों के समावेशन में समस्याओं का अध्ययन

5.5 अध्ययन की सीमाएं-

1) अध्ययन हेतु केवल शासकीय विद्यार्थियों, विद्यालयों का चयन किया गया।

2) अध्ययन पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के समझ पर आधारित है।

5.6 शोध प्रक्रिया-

समस्या की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक पद्धति के अंतर्गत सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया गया है जिसमें गुणात्मक पद्धतियों के उपयोग से समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है।

सर्वेक्षण विधि शोध करने की वह विधि है जिसके अंतर्गत वृहद पैमाने पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और तकनीकों को प्रायः दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। मात्रात्मक विधि का उपयोग हम विस्तार पूर्वक अध्ययन के लिए करते हैं तथा गुणात्मक शोध में हम सामाजिक संबंधों के जटिल पक्षों के संबंध में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं।

5.7 प्रतिदर्श एवं प्रतिदर्श का चयन -

शोध के अच्छे परिणामों के लिए अच्छा प्रतिदर्श बहुत अधिक आवश्यक है। संपूर्ण जनसंख्या में किसी शोध को करना संभव नहीं है। अतः किसी भी शोध में प्रतिदर्श का चयन बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। इस हेतु सोद्देश्य प्रतिदर्श का चयन किया गया है।

5.8 अध्ययन हेतु जनसंख्या -

जनसंख्या से हमारा तात्पर्य जनसंख्या के उस भाग से जिस के विचारों का प्रयोग इस शोध के लिए

1. दृष्टिबाधित विद्यार्थी, जो सामान्य विद्यालयों में हो
2. किसी भी शासकीय विद्यालय के शिक्षक।

5.9 उपकरणों का विकास

शोध हेतु प्रश्न का निर्माण शोधकर्ता द्वारा ही किया गया है। इस शोध कार्य हेतु दो प्रश्न पत्रों का निर्माण किया गया है-

1. शिक्षकों एवं के लिए प्रश्नावली
2. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु प्रश्नावली

5.10 उपकरणों का प्रशासन-

उपकरणों के प्रशासन हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन किया-

विद्यालय पहुंचकर विद्यालय प्राचार्य की स्वीकृति से विद्यालय की दृष्टिबाधित विद्यार्थियों तथा शिक्षकों से संपर्क कर उनके समय की उपलब्धता अनुसार अपने अनुसंधान के विषय में बताकर उनसे प्रश्नावली भरवाई गईं तथा कई शिक्षकों के निवास स्थान पर प्रश्नावली पूर्ण कराई गई।

5.11 उद्देश्यों के आधार पर निष्कर्ष -

अध्ययन के मुख्य परिणाम का विवरण अध्ययन के उद्देश्यों के अनुसार क्रमश: निम्नलिखित हैं-

1. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों में केवल 45% विद्यार्थी समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूक हैं।
2. शिक्षकों में केवल 40% शिक्षक ही समावेशी शिक्षा के प्रति जागरुक है।
3. 55% दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में दी गई सुविधाओं की जानकारी नहीं है।
4. 51% शिक्षकों को प्रशासन द्वारा क्षेत्र में दी गई सुविधाओं की जानकारी नहीं है।
5. 57% दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा में समस्याओं का सामना करना होता है।

5.12 शैक्षिक निहितार्थ

समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 25 वर्षों से सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के पश्चात भी अध्ययन से पता चलता है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की समावेशन की स्थिति कई क्षेत्रों में सामान्य से कम है। इस शोध में में प्रत्येक क्षेत्र का विस्तार से वर्णन है जिससे हमें ज्ञात होता है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्रदेय शासकीय सुविधाओं की जानकारी बहुत कम है

तथा उन्हें बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा शिक्षक भी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु जागरूक व प्रशिक्षित नहीं है,तथा बहुत से शिक्षकों को प्रशासन द्वारा समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेय सुविधाओं की जानकारी भी नहीं है

अतः आवश्यक है कि शिक्षकों व विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के माध्यम से शासकीय सुविधाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा तथा प्रशिक्षण द्वारा उनकी शैक्षिक समस्याओं का समाधान किया जाए तथा विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को भी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रदेय सुविधाओ से अवगत कराया जाए। तब दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन की स्थिति में सुधार संभव है।

5.13 भावी शोध हेतु सुझाव

शोध कार्य एक बंद अध्याय नहीं होता, वरन् प्राप्त निष्कर्षों के प्रकाश में नवीन ज्ञान को प्राप्त करने हेतु मार्ग प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा किए गए शोध कार्य की निश्चित सीमा थी। अतः शोधकर्ता ने अपनी निश्चित सीमा में रहकर शोध कार्य को पूर्ण किया। फिर भी इस शोध से संबंधित कुछ संभावनाएं बनती हैं, जिन्हें भावी शोधार्थी कर सकते हैं-

1. प्रस्तुत शोध एक गुणात्मक अध्ययन है। अतः प्रशासन द्वारा प्रदेय सुविधाओं आदि के संदर्भ में मात्रात्मक शोध भविष्य में किए जा सकते हैं।
2. प्रस्तुत शोध केवल शासकीय विद्यालयों के लिए है, अतः भविष्य में इन्हीं क्षेत्रों में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
3. भविष्य में नगरीय एवं ग्रामीण विद्यालयों में समावेशन की स्थिति पर तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
4. यह अध्ययन केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर किया गया है अतः भविष्य में अन्य विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर भी शोध किए जा सकते हैं।